रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255575
CG-DL-E-19072024-255575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2742] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 2742] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

(आय-कर)

का.आ. 2879(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण* 1 के खंड (ग) के उप- खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि अर्थात्, एमको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (PAN: AAZCA0927A) (जिसे इसके पश्चात "निर्धारिती" कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात किंतु 31 मार्च, 2025 को या उससे पूर्व भारत में उसके द्वारा किए गए पात्र विनिधान (जिसे इसके पश्चात "उक्त विनिधान" कहा गया है) के सम्बंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन रहते हुए, नामित व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

(i) निर्धारिती उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि, जिसमें उक्त विनिधान किया गया है और उस तारीख को, जिसको ऐसा विनिधान का परिसमापन किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के अंतर्गत आने वाले सभी

सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अध्यधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा;

(ii) निर्धारिती ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में आय-कर नियमावली, 1962 के नियम 2घख के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे *स्पष्टीकरण* में यथा परिभाषित किसी लेखाकार के प्ररूप संख्या 10खखग में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;

(iii) निर्धारिती भारत में तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में ब्यौरों की सूचना तिमाही के दौरान तिमाही के अंत से एक माह के भीतर आय-कर नियमावली, 1962 के नियम 2घख के खंड (V) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप सं. 10खखख में देगा;

(iv) निर्धारिती ऐसे विनिधानों के संबंध में जो इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अध्यधीन छूट के लिए अर्हक हैं, के संबंध में खंड-वार आय और व्यय का लेखा-जोखा रखेगा;

(v) निर्धारिती अल्बर्टा, कनाडा सरकार की विधि के अध्यधीन विनियमित होता रहेगा;

(vi) निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के सहभागियों या लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांग्ता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या कोई समरूप प्रतिकर का उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं की कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा भी मामला हो;

(vii) निर्धारिती द्वारा प्रशासित या निवेशित आस्तियों के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक को खंड (vi) में सूचीबद्ध उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी आस्तियां पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अल्बर्टा, कनाडा सरकार के स्वामित्व में हों और ऐसी आस्तियां विघटन के बाद अल्बर्टा, कनाडा सरकार में निहित हो जाएं;

(viii) निर्धारिती के उपार्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को और खंड (vi) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या लाभार्थियों के लिए परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाएगा तथा पेंशन निधि के उपार्जनों और आस्तियों का कोई भी भाग किसी अन्य निजी व्यक्ति के किसी फायदे को भारत में निविधान करने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण या उधार [इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण* 2 के खंड (ii) के उप-खंड (ख) में यथापरिभाषित] के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी भी संदाय को छोड़कर लागू नहीं होता है;

(ix) खंड (vii) में विनिर्दिष्ट आस्तियों से उपार्जन का उपयोग खंड (viii) में सूचीबद्ध उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि उक्त उपार्जन या तो अल्बर्टा, कनाडा सरकार के खाते में या ऐसी सरकार द्वारा नामित किसी अन्य खाते में जमा की जाए ताकि उपार्जन का कोई भी हिस्सा किसी निजी व्यक्ति को कोई लाभ न पहुंचाए;

(x) निर्धारिती के पास भारत में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण या उधार नहीं होगा [जैसा कि इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण* 2 के खंड (ii) के उप-खंड (ख) में परिभाषित किया गया है]; और

(xi) निर्धारिती निवेशिती के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेगा [इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण* 2 के खंड (ii) के उप-खंड (ख) में यथापरिभाषित] लेकिन निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के अधिकार सहित निवेशिती के साथ निवेश की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र को निवेशिती के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी नहीं माना जाएगा।

2. इस अधिनियम की धारा 10 के उक्त खंड (23चड.) और इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट के लिए अपात्र ठहराएगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 93/2024/फा.संख्या500/पीएफ12/एस10(23चड.)/एफटी एंड टीआर-II-भाग(1)]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव